(17)

(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक पुर्नविलोकन—109—एक/2017 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 17—11—2016 के द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक निगरानी 2982/एक/2015.

.....

मध्य प्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर जिला अशोकनगर
म0 प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

कु0 अजय प्रताप सिंह पुत्र
श्री राव देशराज सिंह यादव
निवासी तायडे कालोनी अशोक नगर
जिला अशोक नगर म0प्र0
2—हरीशंकर पुत्र श्री काशीराम
निवासी अस्थाई खेडा तहसील
मुंगावली जिला अशोक नगर म0प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदकगण पूर्व से एक पक्षीय

.....

आदेश

(आज दिनांक 10/07/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह पुर्नविलोकन राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17—11—2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है ।

2— प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक—2 हरीशंकर की ओर से एक आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि ग्राम अरथाई खेडा में स्थित भूमि

सर्वे कमांक 696 पर अनावेदक कमांक–1 द्वारा अतिकमण किया गया है, जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्व कर पटवारी ग्राम से मौका की रिपोर्ट चाही गई तब पटवारी द्वारा बताया गया कि नक्शा जीर्ण–क्षीर्ण होने के कारण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकती। तत्पशचात् एस.एल.आर. द्वारा मौके की जांच हेतु पत्र जारी किया गया तब मौके की स्थिति के विपरीत तथा नक्शा जीर्ण–क्षीर्ण होने के रिपोर्ट दी गई और दिनांक 26.8.2015 को अनावेदक कमांक–1 की आपत्ति निरस्त की गई इसी से परिवेदित होकर न्यायालय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसमें आदेश दिनांक 17.11.2016 द्वारा स्वीकार की गई इसी से परिवेदित होकर यह पुर्नविलोकन प्रस्तुत किया गया है।

3–आवेदक शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधिवत एवं उचित है ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया था लेकिन न्यायालय द्वारा अनदेखी करते हुये विधि विरूद्व आदेश पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है। उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा है कि उक्त प्रकरण में ग्राम पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में बताया है कि नक्शा जीर्ण क्षीर्ण है तथा नक्शा बन गया है इस संबंध में ग्राम पटवारी तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित नक्शा दिया है उस पर अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार उपरांत ही दिनांक 26.8.2015 को आपत्ति निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है जो विधि प्रावधानों से उचित था इसलिये माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था कि प्रकरण में राजस्व निरीक्षक / पटवारी से ग्राम अस्थाई खेड़ा में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 696 के चालू नक्शा में बटांकन तरमीम करने हेतु प्रस्ताव दिये उसी के उपरांत विधिवत तरीके से तहसीलदार का आदेश दिनांक 26.8.2015 पारित किया है जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा तहसीलदार के आदेश को अनदेखा करते हुये जो आदेश दिनांक 17.11.2016 पारित किया है वह विधि के प्रावधानों से उचित नहीं है इसलिये निरस्त किया जावे। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक शासन का पुर्नविलोकन स्वीकार कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2016 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदकगण को पूर्व में सूचना दी गई लेकिन वह उपस्थित नहीं हुये उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई । आवेदक शासन के पैनल अधिवक्ता के तर्क सुने । पुर्नाविलोकन आवेदन पत्र में वर्णित आधारों के परिप्रेक्ष्य में शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं न्यायदान की दृष्टि से न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2982–एक/2015 में आये तथ्यों पर भी विचार किया गया । प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि आदेश दिनांक 17.11.2016 से ग्राम अस्थाई खेड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 696/2 में से रकवा 0.209 है0 केता राव अजय प्रताप सिंह पुत्र राव देशराज सिंह यादव को विकय किया गया है विकेता राजेन्द्र कुमार शर्मा अन्य द्वारा सर्वे न0 696/2 रकवा 1.142 है0 भूमि को छोटे सिंह पुत्र दिमान सिंह जाति ठाकुर से कय की गई है व मौके पर कब्जा प्राप्त किया गया है। एस.एल.आर.की सीमांकन रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा में सर्वे न0 696/2 के भूमि स्वामी राधाकिशन पुत्र बाबूलाल, राजेनद्र कुमार पुत्र भगवती प्रसाद जाति ब्राहम्ण का रकवा 1.142 है0 पर सर्वे नम्बर 693 की सीमा से लगा सर्वे 694 के पास कब्जा बताया गया है। विकता राजेन्द्र कुमार का कब्जा विदिशा अशोक नगर रोड से लगा हुआ नहीं बताया गया है। एस.एल.आर. की सीमांकन एवं पंचनामा में अजय प्रताप सिंह के हस्ताक्षर होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा जो आपत्ति दिनांक 26.8.2015 निरस्त की गई है वह विधि सम्मत है। ऐसी स्थिति में शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन आवेदन में दर्शाये गये आधार मानने योग्य है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक शासन द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक निगरानी 2982/एक/2015 में पारित आदेश दिनांक 17.11.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर